

BUILDING SAFETY CERTIFICATENo. 16/कैम्प/२०२४Dated: 19-02-2024


Certified that the existing building Rasin School (name of the building or premises) at Partawal Chowk, Post- Partawal Bazar, District- Maharajganj-273301 (U.P.) (Address) comprised of Ground floor, First floor, Second floor & Third floor owned/ occupied by Rasin School (name of the Institution) have complied with the building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of R.N. Maurya (Name of Department/ Govt.) on 07/02/2024 (date of inspection) in the presence of Mr. Sri Prakash Singh R/o Partawal Chowk, Partawal Bazar, Maharajganj (U.P.) (Name and address of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 12/02/2024 for a period of 3 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 12/02/2024 at Maharajganj, by R.N. Maurya (A.E.)

Signature with Seal: प्रिन्सिपल अभियन्ता
प्रान्तोष खण्ड, लो०नि०वि०
 Name: R.N. Maurya
 Designation: AE

Name & Address
 of Department/Office: P.D., P.W.D., Maharajganj
 (Assistant Engineer & above officer of
 concerned Govt. Department only)


PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
 Partawal Chowk - Maharajganj


MANAGER
RASIN SCHOOL
 Partawal Chowk - Maharajganj

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महाराजगंज

पत्रांक- 16 / केम्प / 2024

दिनांक 12-02-2024

सेवा में,

प्रबन्धक
रेसिन स्कूल
परतावल चौक,
जिला-महाराजगंज।

विषय : "रेसिन स्कूल (RASIN SCHOOL) परतावल चौक, जिला-महाराजगंज" को कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय की नवीन स्थायी मान्यता हेतु शैक्षिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज के पृष्ठांकन पत्र संख्या-2873, दिनांक-05.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "रेसिन स्कूल (RASIN SCHOOL) परतावल चौक, जिला-महाराजगंज" को कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय की नवीन स्थायी मान्यता हेतु शैक्षिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

महाराजगंज

दिनांक


पत्रांक- / / 2024


प्रतिलिपि:-मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज को उपरोक्त पृष्ठांकन पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

महाराजगंज।


PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj


MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

निरीक्षण आख्या

प्रबन्धक, " रेसिन स्कूल (RASIN SCHOOL) परतावल चौक, जिला-महराजगंज" कक्षा 1 से 12 तक विद्यालय की नवीन स्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी महराजगंज के पृष्ठांकन पत्र संख्या-2873, दिनांक-05.02.2024 के क्रम में भारत के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के भाग-4 टेबुल-23 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार दिनांक-20.01.2024 , " रेसिन स्कूल (RASIN SCHOOL) परतावल चौक, जिला-महराजगंज" को कक्षा 1 से 12 तक के नवीन स्थायी मान्यता हेतु शैक्षिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त प्रथम दृष्टया में शैक्षिक भवन सुरक्षित पाया गया।

(W)

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
महराजगंज।



PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj



MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj